



2026:AHC-LKO:20625

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 1804/2026

विकास सिंह

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा महानिदेशालय जी.एस.टी, खुफिया क्षेत्रीय इकाई, लखनऊ

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता: सतेंद्र कुमार (सिंह), अभिषेक मिश्रा, अभिषेक तिवारी, शिवम

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता: दिग्विजय नाथ दुबे, धीरज श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या- 15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

आज दाखिल किए गए प्रति शपथ पत्र और प्रति उत्तर शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सतेंद्र कुमार सिंह तथा विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरज श्रीवास्तव के निवेदनों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष के मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि प्रार्थी ने धोखाधड़ी से नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) बनाकर और जी.एस.टी. पोर्टल पर जाली इनवॉइस जारी करके, उसका उपयोग मेसर्स आर.वी.एन.एल. अनुबंध से उत्पन्न होने वाली उत्पादन कर देनदारी को समायोजित करने के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिए किया। मेसर्स आर.वी.एन.एल. से वसूले गए कर को जमा करने के बजाय, प्रार्थी ने ऐसे नकली आई.टी.सी. का उपयोग करके उत्पादन कर देनदारी का भुगतान किया, और इस प्रकार सरकारी राजकोष को 32.66 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा, यह भी आरोप है कि प्रार्थी धोखाधड़ी वाले आई.टी.सी. को व्यवस्थित रूप से बनाने और उसका उपयोग करने, तथा बिना किसी वास्तविक माल या सेवाओं की आपूर्ति के नकली चालान जारी करने में लिप्त है।

प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी को 16.02.2026 को जी.एस.टी. खुफिया महानिदेशालय, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई, लखनऊ के अधिकारियों द्वारा ले जाया गया था; हालाँकि, उसे 18.02.2026 को गिरफ्तार दिखाया गया और 27.02.2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। यह भी बताया गया कि विभाग ने केवल न्यायिक अभिरक्षा की मांग की थी और कभी भी पुलिस अभिरक्षा में नहीं लिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि विभाग पहले से की गई पूछताछ से संतुष्ट था और उसे आगे किसी पुलिस अभिरक्षा के तहत पूछताछ की आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया है कि गिरफ्तारी प्रपत्र में गिरफ्तारी के कोई पर्याप्त आधार नहीं बताए गए हैं। मूल गिरफ्तारी प्रपत्र और प्रार्थी को दी गई उसकी प्रति अलग-अलग हैं और एक जैसी नहीं हैं; ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रार्थी को दी गई प्रति में गिरफ्तारी के आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि गिरफ्तारी प्रपत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन करके तैयार किया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि गिरफ्तारी प्रपत्र से यह परिलक्षित होता है कि इसमें ठीक से सोच-विचार नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्रार्थी ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसके बाद "2017 का अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) के तहत अपराध किए हैं; जिससे यह संकेत मिलता है कि अभियोजन एजेंसी स्वयं इस बात को लेकर अनिश्चित थी कि कथित आरोप में असल में कौन-सा अपराध शामिल है।

आगे यह भी निवेदन है कि यद्यपि गिरफ्तारी प्रपत्र की तारीख 18.02.2026 है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि गिरफ्तारी के कोई अलग आधार



या "विश्वास करने के कारण" उसमें दिए गए थे। गिरफ्तारी के कथित कारण कागज़ के एक अलग प्रपत्र पर दिए गए थे, जो गिरफ्तारी प्रपत्र का हिस्सा नहीं है। गिरफ्तारी प्रपत्र (संलग्नक संख्या 2) को देखने से पता चलता है कि प्रार्थी पर लगाए गए विशिष्ट अपराध के संबंध में अस्पष्टता है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि वर्ष 2017 के अधिनियम की धारा 6(ख) के अंतर्गत, जहाँ किसी विषय-वस्तु पर कार्यवाही एस.जी.एस.टी. अधिनियम के तहत किसी समुचित अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई हो, वहाँ सी.जी.एस.टी. अधिनियम के तहत किसी समुचित अधिकारी द्वारा समानांतर कार्यवाही अनुमेय नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा कथित रूप से नियंत्रित चार फर्मों को, आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हेतु, उप आयुक्त, राज्य जी.एस.टी., अयोध्या प्रभाग-ख, अयोध्या द्वारा, 2017 के अधिनियम की धारा 67 के साथ सपठित धारा 70 के तहत पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन नोटिसों और उनके जवाबों की प्रतियाँ ज़मानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक संख्या 5 के रूप में अभिलेख पर मौजूद हैं। अधिनिर्णयन की प्रक्रिया के दौरान, इन फर्मों ने कुल 4,85,20,637/- रुपये की राशि जमा की है, जिसकी रसीदें संलग्नक संख्या 6 के रूप में अभिलेख पर हैं। अतः यह निवेदन किया गया है कि एस.जी.एस.टी. अधिनियम और सी.जी.एस.टी. अधिनियम के तहत एक साथ समानांतर कार्यवाही करना अनुमेय नहीं है और यह अनुचित है।

यह भी निवेदन किया गया है कि कथित अपराधों का परीक्षण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा VICHARNIIY परीक्षणीय है और इनके लिए अधिकतम पाँच वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित है। संपूर्ण मामला दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है, जो पहले से ही अभियोजन एजेंसी की अभिरक्षा में हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थी 18.02.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने और मामले के त्वरित परीक्षण में सहयोग करने का वचन देता है।

इसके विपरीत, विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरज श्रीवास्तव ने ज़ोरदार ढंग से ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है। उनका कहना है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गिरफ्तारी प्रपत्र एक छपे हुए प्रारूप में है, जो विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है। उनका आगे कहना है कि गिरफ्तारी प्रपत्र के साथ-साथ, "गिरफ्तारी के आधार" और "विश्वास करने के कारण" भी उसी दिन, यानी 18.02.2026 को प्रार्थी को विधिवत सौंप दिए गए थे। उनका कहना है कि 2017 के अधिनियम की धारा 132(1)(ख), (ग) और अन्य संबंधित उपधाराओं के तहत आने वाले अपराध अशमनीय, गैर जमानतीय और संज्ञेय हैं।

दिनांक- 16.02.2026 को हुई कथित अवैध गिरफ्तारी के संबंध में, उनका कहना है कि यह कहना गलत है। प्रार्थी को 18.02.2026 को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया था, और उसी दिन सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ उसे विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षति कारित नहीं हुई है, क्योंकि गिरफ्तारी के आधार और विश्वास करने के कारणों की जानकारी उसे विधिवत रूप से दे दी गई थी।

अभिलेखों और इस बिंदु पर विधि का अध्ययन किया।

बहस के दौरान, दोनों पक्षों द्वारा न्यायालय के समक्ष कुछ निर्णय/आदेश प्रस्तुत किए गए।

विनीत जैन बनाम भारत संघ (आपराधिक अपील संख्या 4349/2025) मामले में, जहाँ कथित अपराध 2017 के अधिनियम की धारा 132(1) के खंड (ग), (च) और (ज) के तहत थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में, सामान्यतः परीक्षण न्यायालयों द्वारा जमानत दी जानी चाहिए, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान न हों।

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रार्थी की कोई पुलिस अभिरक्षा नहीं ली गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि सामग्री मुख्य रूप से दस्तावेजी प्रकृति की है। परीक्षण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और यह अपराध पाँच वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संजय चंद्र बनाम सी.बी.आई., (2012) 1 एस.सी.सी. 40 (विशेष रूप से प्रस्तर 19 पर जोर देते हुए), **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जांच अधिकारी [2026 LiveLaw (एस.सी.) 114]**, और **विनीत**



जैन (उपरोक्त) मामलों में निर्धारित कानून पर उचित विचार करने के बाद, और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए—विशेष रूप से यह कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह 18.02.2026 से जेल में निरुद्ध है, कोई पुलिस अभिरक्षा नहीं लिया गया है, साक्ष्य मुख्य रूप से दस्तावेजी प्रकृति के हैं, और प्रार्थी ने विवेचना में सहयोग करने का वचन दिया है—यह न्यायालय इस मामले को प्रार्थी को ज़मानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता है।

तदनुसार, ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

प्रार्थी-विकास सिंह, जो मुकदमा अपराध /प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/2026 में शामिल है (सी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(ख) (ग) और (1) के तहत, थाना- डी.जी.जी.आई. लखनऊ, जिला-लखनऊ), को एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर (संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अधीन) ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

- I. प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- II. प्रार्थी अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।
- III. प्रार्थी परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।
- IV. प्रार्थी अपना पासपोर्ट, यदि कोई हो, संबंधित परीक्षण न्यायालय के समक्ष जमा करेगा।
- V. प्रार्थी संबंधित विद्वान परीक्षण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना लखनऊ जिले की क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा।

कोई भी अन्य शर्त (शर्तें), जिसे परीक्षण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और सही समझे, न्याय के हित में अधिरोपित की जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान ज़मानत प्रार्थना पत्र तक ही सीमित हैं, और इनका परीक्षण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।



19 मार्च 2026

विनय/-

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।